राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 11 (1) राज/1/2018

जयपुर, दिनांक : 19.02.2018

–: आज्ञा :–

राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 176ए में भू–अभिलेख निरीक्षक को कार्यालय उपयोग हेतु सरकार द्वारा सरकारी भवन अथवा किराये का भवन उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। यदि भू–अभिलेख निरीक्षक को सरकारी कार्यालय भवन या किराया का भवन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में भू–अभिलेख निरीक्षक को कार्यालय भत्ता रू 1000/– प्रतिमाह स्वीकृत किये जाने की एतद्द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त (नियम) विभाग की आई. डी. क्रमांक 101800295 दिनांक 16.02.2018 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में प्रदान की जाती है।

AR(F&A)

26/2/18

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हरि मोहन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रधान महालेखाकार राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–2) विभाग।
4. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
5. अतिरिक्त निबन्धक (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व।
7. रक्षित पत्रावली।

537
27/2/18

F/

28/2/18

संयुक्त शासन सचिव

ई-मेल

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम/भू0अ0/ई–3/प.4/2017/1896-1928 दिनांकः 9–03–2018

प्रतिलिपि जिला कलक्टर (समस्त), राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(विनीता श्रीवास्तव)
निबन्धक
राजस्व मण्डल राज., अजमेर